प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2023

विषय:- जनपद अमेठी में जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34013/नम-3/जि0का0अमेठी, दिनांक-21.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माण कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना लागत रू0 17612.42 लाख की लागत पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17612.42 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-025 लेखाशीर्षक 407000800800 कारागारों का निर्माण मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि से स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया सम्यक विचारोपरान्त जनपद अमेठी में जिला कारागार के निर्माण कराये जाने हेतु प्रायोजना लागत धनराशि रू0 17612.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन तथा पुनरीक्षण सामान्यत: स्वीकार नहीं होगा।

(2) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(5) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(6) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(10) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(12) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(13) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं दिनांक 04.11.2022 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(15) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(16) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(17) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत् का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।

(18) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(19) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक हैं।

(20) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेग।

(21) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(22) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक- 31 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा किचेन, हास्पिटल सेफ्टी,फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, यू0पी0एस0, फेन्सिंग एण्ड सेफ्टी कवर, पी0ए0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम,वीडियो कान्फ्रेंस सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वाकी-टॉकी की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है। इस संबंध में प्रस्ताव पृथक से उपलब्ध कराया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-311-X-2022-23-दिनांक:28-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2023/1609/001-22-4-2022-48-65-2011, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, अमेठी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यायक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।